सं. 5199/आ-वि-/2018
13-7-18

संख्याः 1131 /आठ–1–17–08विविध/2016

प्रेषक,

डा0 अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3– आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

4– समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।

5– समस्त नगर आयुक्त, उत्तर प्रदेष।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक 11 जुलाई, 2018

विषय :प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक अर्फोडेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक अर्फोडेबल हाउसिंग इन पार्टनशिप के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के भवमों के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या–1855/आठ–1–17– 80विविध/2010 लखनऊ दिनांक 05 सितम्बर, 2017 द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को 30000 तथा विकास प्राधिकरणों 70.000 दुर्बल आय वर्ग के भवन निर्माण का लक्ष्य दिया गया था। शासनादेश संख्या–986/आठ–1–18–80विविध/2010, दिनांक 26 जून, 2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2020–21 तक आवास विकास परिषद हेतु 1.20 लाख तथा विकास प्राधिकरण हेतु 2.80 लाख कुल 4.00 लाख दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, **अभिकरणवार लक्ष्य संलग्न है।**

2– प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की सफलता भूमि के समयान्तर्गत एवं सही लोकेशन के चयन पर पूर्णतया आधारित है। प्रधानमंत्री आवास योजना के सफल कियान्वयन हेतु सम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिया गया है :–

(1) प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत अभिकरणों को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति का गठनः–

(i)	**जिलाधिकारी**	–	**अध्यक्ष**
(ii)	**उपाध्यक्ष, सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/ अपर आवास आयुक्त/सचिव, आवास विकास परिषद**	–	**उपाध्यक्ष**

E:/ E:/PMAY//G.O.17

(iii) नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम/अधिशाषी अधिकारी, संबंधित नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत —सदस्य

(iv) सम्बन्धित उपजिलाधिकारी, जहां भूमि स्थिति है —सदस्य संयोजक

(v) सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/परिषद के अधिशाषी अभियन्ता —सदस्य

(vi) स्थानीय आवश्यकतानुसार जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी —सदस्य

2(2) योजना के लिए चयनित भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की नही होगी, बल्कि इसके लिए नजूल, अर्बन सीलिंग की सरप्लस भूमि, ग्राम समाज की भूमि, नगर निगम की भूमि, स्थानीय निकायों की भूमि, राजकीय–आस्थान एवं अन्य सरकारी विभागों यथा–लोक निर्माण विभाग व सिंचाई विभाग की अनुपयुक्त पड़ी भूमि तथा विकास प्राधिकरणों/आवास एवं विकास परिषद की भूमि का उपयोग किया जायेगा। योजना हेतु चिन्हित की जाने वाली सभी प्रकार की भूमि संबंधित संस्था/विभाग द्वारा अनिवार्य रूप से निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी तथा तद्नुसार अपने अभिलेखों में भी दर्ज किया जायेगा। योजना हेतु भूमि का चयन निर्धारित समयान्तर्गत एवं उपयुक्त स्थान (लोकेशन) पर किया जायेगा। संबंधित अभिकरण द्वारा उक्त भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

2(3) **(क)** नजूल अथवा अन्य प्रकार की भूमि के अन्तरण के संबंध में विभिन्न प्रवृत्त शासनादेशों में विहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ख) संबंधित अभिकरण यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रकरण से संबंधित किसी मा0 न्यायालय अथवा सक्षम स्तर का अन्यथा आदेश नहीं है।

(ग) विक्रय अथवा अन्य रीति से अन्तरण की दशा में सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(घ) संबंधित अभिकरण को पट्टे पर अन्तरण की दशा में 30–30 वर्ष के दो मध्यवर्ती नवीनीकरण सहित कुल 90 वर्ष की लीज अवधि हेतु एक रूपये के सांकेतिक प्रीमियम पर हस्तान्तरित की जायेगी।

(ङ.) प्रधानमंत्री आवास योजना में भवन निर्माण हेतु समिति द्वारा यदि लोक निर्माण विभाग की कोई अनुपयुक्त भूमि चिन्हित होती है, तो लोक निर्माण विभाग की सहमति प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

3— उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(डा0 अनूप चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य सचिव

E:/ E:/PMAY//G.O.17

<u>संख्या व दिनांकः तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उ0 प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण, ऊर्जा, बेसिक शिक्षा, सिंचाई, समाज कल्याण, चिकित्सा स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण, पिछडा वर्ग कल्याण, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, खाद्य एवं रसद, लघु उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, दुग्ध विकास, अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/न्याय/सुचना, उ0 प्र0 शासन।
4. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0 प्र0 लखनऊ।
9. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
10. विशेष कार्याधिकारी सूचना, मा0 मुख्य मंत्री जी उ0 प्र0 शासन।
11. समस्त संयुक्त/उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत (द्वारा जिलाधिकारी)
15. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

11/7/2018

(नितिन रमेश गोकर्ण)

प्रमुख सचिव

E:/ B:/PMAY//G.O.17